संख्या–वे0आ0–2–345/दस–54(एम)/2008 टी0सी0

प्रेषक,

आनन्द मिश्र,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
माध्यमिक शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 03 सितम्बर, 2012

विषयः–राज्य के पदोन्नति वेतनमान के प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों को अनुमन्य कराये गये उच्चीकृत वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर संकल्प संख्या–वे0आ0–2–225/दस–2009–54(एम)/2008 टी0सी0 दिनांक 02 फरवरी 2009 द्वारा शिक्षा विभाग तथा अन्य विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के पदोन्नति वेतनमान के प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों को केन्द्र सरकार के शैक्षिक पदों के सादृश्य पर ग्रेड–1 की श्रेणी में वर्गीकृत करते हुए वेतनमान रू0 8000–13500 के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400 अनुमन्य कराया गया था।

केन्द्र सरकार द्वारा उक्त श्रेणी के शिक्षकों को पूर्व में अनुमन्य कराये गये उक्त वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन को पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–3 रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400 में संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के संदर्भ में राज्य के शिक्षा विभाग तथा अन्य विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के पदोन्नति वेतनमान के प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों (एल0टी0 शिक्षक) को पूर्व में अनुमन्य कराये गये वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400 को वेतन बैण्ड–3 रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400 में संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त निर्णय के अनुसार पदोन्नति वेतनमान के प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों (एल0टी0 शिक्षक) को अनुमन्य कराये गये वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400 के स्थान पर वेतन बैण्ड–3 रू0 15600–39100 एवं ग्रेड

वेतन रू0 5400 अनुमन्य कराये जाने हेतु निर्गत किये जा चुके विभागीय आदेश का संशोधनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत कराये जाने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

आनन्द मिश्र
प्रमुख सचिव।

संख्या–वे0आ0–2– 345 (1)/दस–62(एम)/2008, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग/अल्प संख्यक कल्याण विभाग/कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
5. सम्बन्धित विभागों के विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को वित्त विभाग की बेवसाइट पर डाले जाने हेतु।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार जोशी)
संयुक्त सचिव।